संख्या-49/2018/1012/71-1-2018-जी-234/2007

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 16 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मेडिकल कालेज, बॉदा के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2017-18/3825, दिनॉक 13-03-2018 का संदर्भ ग्रहण करे।

2- राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 13-03-2008 में उक्त प्रायोजना की मूल लागत रू0 25543.07 लाख आंकलित की गयी थी। इसी मूल लागत के सापेक्ष शासनादेश संख्या-164/71-1-2009-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 22-04-2009 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। लागत दरें पुनरीक्षित होने के कारण दिनॉक 25-01-2009 को हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में उक्त प्रायोजना की कुल लागत रू0 40388.87 लाख पुनरीक्षित की गयी थी एवं तदनुसार शासनादेश दिनॉक 28-02-2010 द्वारा उसकी प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। लागत दरें पुन: पुनरीक्षित होने के कारण दिनॉक 19-10-2015 को हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में उक्त प्रायोजना की कुल लागत रू0 51645.42 लाख पुनरीक्षित की गयी थी। तत्क्रम में शासनादेश दिनॉक 02-02-2016 द्वारा उसकी प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 19-10-2015 में लिए गए निर्णय के क्रम में मुख्य शैक्षणिक भवन एवं लैब व म्यूजियम हेतु फर्नीचर तथा फर्निशिंग कार्य एवं किचिन इक्युपमेंट के क्रय हेतु संस्तुत धनराशि रू0 885.59 लाख को सम्मिलित करते हुए उक्त प्रायोजना की कुल लागत रू0 52531.01 लाख पुनरीक्षित की गयी थी एवं तदनुसार शासनादेश दिनॉक 20-08-2016 द्वारा उसकी प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। पुनरीक्षित लागत रू0 52531.01 लाख के सापेक्ष विभिन्न् शासनादेशों द्वारा कुल रू0 48372.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1.	1717/71-1-08-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 20-06-2008	3000.00
2.	164/71-1-09-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 24-04-2009	2400.00
3	3991/71-1-09-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 07-10-2009	2000.00
4	431/71-1-10-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 28-02-2010	1000.00
5	1036/71-1-2010-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 27-04-2010	2000.00
6	2042/71-1-10-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 02-12-2010	1000.00
7	1178/71-1-10-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 21-07-2011	2500.00
8	2119/71-1-10-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 04-09-2012	1000.00
9	5185/71-1-12-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 13-02-2013	1100.00
10	575/71-1-13-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 30-03-2013	1000.00
11	864/71-1-13-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 31-03-2013	400.00
12	1715/71-1-13-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 10-07-2013	7500.00
13	846/71-1-14-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 25-03-2014	5000.00
14	39/2840/71-1-14-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 11-11-2014	4439.50
15	39/2015/3544/71-1-14-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 13-03-2015	1060.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16	126/2015/1226/71-1-15-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 03-07-2015	1969.75
17	10/2016/2788/71-1-15-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 02-02-2016	2000.00
18	62/2016/622/71-1-16-जी-234/2007, दिनॉक 28-03-2016	530.25
19	123/2016/1191/71-1-16-जी-234/2007, दिनॉक 16-05-2016	2790.11
20	190/2016/2296/71-1-16-जी-234/2007, दिनॉक 30-08-2016	500.00
21	199/2016/2485/71-1-16-जी-234/2007, दिनॉक 30-09-2016	1552.39
22	24/2017/2783/71-1-16-जी-234/2007, दिनॉक 13-02-2017	530.25
23	59/2017/574/71-1-17-जी-234/2007, दिनॉक 31-03-2017	2300.00
24	35/2018/257/71-1-18-जी-234/2007, दिनॉक 13-03-2018	800.00
	योग-	48372.75

3- आपके उक्त पत्र दिनॉक 13-03-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, बांदा हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 5,30,25,000/- (रू0 पॉच करोड़ तीस लाख पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार व व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद/कार्य में किया जाय, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की गयी है, किसी अन्य कार्य/मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3- मात्राओं के निर्माण का समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।
4- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी। इनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय।
5- प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा पी0एफ0ए0डी0/व्यय वित्त समिति की शर्तो तथा वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 03-08-2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6- प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
7- महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
8- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
9- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10- शासनादेश संख्या-164/71-1-2009-जी-234/2007टी0सी0, दिनॉक 22-04-2009 एवं शासनादेश दिनॉक 20-08-2016 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।
11- उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष होने वाले निर्माण कार्यो की नियमानुसार थर्ड पार्टी आडिट कराकर थर्ड पार्टी आडिट रिपोर्ट में उल्लिखित आपत्तियों का निराकरण करके उसकी रिपोर्ट समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-18-मेडिकल कालेज, बॉदा-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03 अगस्त, 2017 एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22-07-2014 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 49/2018/1012(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बॉदा।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बॉदा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बॉदा।
6- समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
8- नियोजन-अनुभाग-4, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।